

अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 10 / 2014-15
2. ग्राम : मनियारी।
3. परगना व तहसील : मीरानपुर, सदर
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 4.257 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56
(लखनऊ-सुलतानपुर सेक्शन) के
113.670 कि०मी० से 135.000
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई लखनऊ।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.1495(अ)
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 04.07.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. दैनिक हिन्दुस्तान,
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार दिनांक 05.08.2012
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक 2. हिन्दुस्तान, टाइम्स,
दिनांक 05.08.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.1120 (अ)
की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत का राजपत्र असाधारण,
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 02.05.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1. अमर उजाला
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय दिनांक 12.06.2013
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि 2. टाइम्स ऑफ इण्डिया
दिनांक 12.06.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक जनवरी,,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	3,02,03,790.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	13,700.00
	भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	-----
	हैण्डपम्प,कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु०)	-----
योग (रु०)		3,02,17,490.00
10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)		30,21,749.00
सम्पूर्ण योग (रु०)		3,32,39,239.00

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 33,23,924.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 174.29 ×40 =6,971.60

यानि रूपया 6,972.00 (रूपया छः हजार,नौ सौ बहत्तर मात्र)

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 113.670 कि०मी० से 135.00 कि०मी० (लखनऊ-सुलतानपुर सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-मनियारी परगना मीरानपुर व तहसील सदर में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, लखनऊ) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 04.07.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण' एवं टाइम्स आफ इण्डिया, में दिनांक 05अगस्त,2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-मनियारी के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत कुल 07 आपत्तियां क्रमशः मनमोहन पाण्डेय, दिलशाद हुसैन, मो०अली, प्रेमादेवी, विजय कुमार शर्मा, एवं श्रीमती निर्मला द्वारा गाटा संख्या 727, 813, 815 ,718, 813, 815 ,727 ,710 एवं 718 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी, जिसका निस्तारण दिनांक 12.12.2012 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका है, जो संलग्न पत्रावली है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 4.2570 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 02.05.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 4.2570 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 12.06.2013 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम-मनियारी परगना मीरानपुर व तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (113.670 कि०मी० से 135.000 कि०मी० तक) (लखनऊ-सुलतानपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि हेतु इस ग्राम में कुल 4.2570हे० रकबे का गजट कराया गया, जिसमें 3.9869 हे० निजी कृषि भूमि व 0.2701हे० भूमि गांवसभा/सरकार की भूमि है, जिस कारण गांवसभा भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जाना उपयुक्त नहीं पाया जाता है। केवल 3.9869 हे० भूमि का ही अभिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा। गांवसभा भूमि 0.2701 हे० का अध्याप्ति निकाय द्वारा अलग से पुर्नग्रहण की कार्यवाही की जाएगी। अर्जित की जानी वाली भूमि कृषि भूमि एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई होने के कारण भूमि की उपयोगिता ज्यादा है। उक्त अर्जित भूमि पर खेती की जा रही है। अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर Unique Design Consultants द्वारा प्रस्तुत Joint Measurement Survey के आधर पर गाटा संख्या: 816 पर कुल 08 पेड़ आम, 01 पेड़ महुआ, 01 पेड़ शीशम एवं 01 पेड़ अमिलतास के पड़ रहे हैं, जिनकी धनराशि का मूल्यांकन प्रभागीय, निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर द्वारा कराया गया, जिसका उल्लेख प्रपत्र-03 पर किया गया है तथा प्रतिकर भुगतान के समय प्रपत्र-11 पर भी उल्लेख करते हुए भुगतान किया जाएगा।

अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 05.08.2012 से ग्राम मनियारी के 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक सदर, सुलतानपुर के कार्यालय से संकलित कराया गया। अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05.08.2012 के तीन वर्ष पूर्व के बैनामों की जाँच करायी गयी। तैयार अनुसूची-2 में उल्लिखित 46 विक्रय पत्रों का अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है, इनमें से विक्रय विलेख क्रम संख्या-01, 02, 04, 05, 07, 09 से 18, 26 से 30, 33, 36, 37, 39, एवं 45 के विक्रय विलेख आवासीय भूमि हेतु विक्रीत किए जाने के कारण चयन हेतु उपयुक्त नहीं है तथा बिक्रय विलेख संख्या 03, 06, 08, 19 से 25 के

की दरें धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 05.08.2012 से की तिथि के काफी पूर्व के हैं। बिक्रय विलेख संख्या 31, 32, 34, 35, 38, 42, से 44 व 46 की दरें बाजार भाव से कम की हैं। इस कारण से उपरोक्त सभी विक्रय विलेखों को निरस्त किया जाता है। विक्रय विलेख संख्या: 41 की दर धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 05.08.2012 से की तिथि से नजदीक एवं बाजार दर के समान होने के कारण प्रतिनिधि विक्रय-पत्र के रूप में चयन किए जाने में कोई बिधिक दिक्कत नहीं है और उपयोगिता एवं उपादेयता में भी समानता परिलक्षित हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा-3जी के उप नियम-7(ए)में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बाजार भाव का निर्धारण किया जाना समीचीन है। अतः विक्रय विलेख संख्या: 41 को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयनित किया जाता है, जिस कारण से औचित्य पूर्ण दर होने के कारण स्वीकार करते हुए निजी भूमि 3.9869 हे० का अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	3,02,03,790.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	13,700.00
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	-----
	हैण्डपम्प कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु०)	-----
	योग (रु०)	3,02,17,490.00
	10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु०)	30,21,749.00
	सम्पूर्ण योग (रु०)	3,32,39,239.00

अत एव उपरोक्त निर्धारित दर के

आधार पर 3.9869 हे० अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० **3,02,03,790.00** होती है। तथा गाटा संख्या: 816 पर कुल 08 पेड़ आम, 01 पेड़ महुआ, 01 पेड़ शीशम एवं 01 पेड़ अमिलतास के पड़ रहे हैं, जिनकी धनराशि का मूल्यांकन प्रभागीय, निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर द्वारा कराया गया के पड़ने के कारण धनराशि 13,700.00 रुपये का मूल्यांकन प्रभागीय, निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर द्वारा कराया गया। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रु० **30,21,749.00** देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० **3,32,39,239.00** (तीन करोड़, बत्तीस लाख, उन्तालिस हजार, दो सौ उन्तालिस रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है। **Unigue Design Consultants** द्वारा ग्राम मनियारी की प्रस्तुत **Joint Measurement Survey** में कोई भी भवन आदि नहीं पड़ रहे हैं।

अध्याप्ति व्यय- कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु **3,32,39,239.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु० **33,23,924.00** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू राजस्व-800 अन्य प्राप्तियाँ 007-भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य – अर्जित भूमि में भू-राजस्व 174.29 का 40 गुना रूपया 6,971.60 यानि 6,972.00 अध्याप्त निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 3.9869 हे० भूमि मनियारी का अभिनिर्णय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा-3जी के उप नियम-7(ए)में दिये गये प्राविधानो के अनुसार रु० **3,32,39,239.00(तीन करोड़, बत्तीस लाख, उन्तालिस हजार, दो सौ उन्तालिस रूपये मात्र)** घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में धनराशि अंकित की जाए।

आज दिनांक जनवरी, 2015 को ग्राम मनियारी परगना मीरानपुर तहसील सदर का अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया।

(रामचन्द्र सरोज)

सक्षम प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी, सदर
सुलतानपुर।